Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी सोनू उर्फ घोलू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्डकी सजा -

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू उर्फ घोलू पुत्र जाहिद उर्फ भूरा निवासी कोल्हू ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2021 में वादी की बहन के सिर में डंडा मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 105/2021 धारा 304 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.01.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफ0टी0सी0-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ घोलू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police   baghpatpolice   @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत   दिनाँक 27.01.2026

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1- रवि पुत्र विक्रम निवासी खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत।

2- विक्रम पुत्र रणधीर उर्फ रणवीरा निवासी खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत।

3- अलीहसन पुत्र सफी निवासी खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत।

4- सोनू पुत्र जिले सिंह निवासी मौहल्ला ईदगाह खत्ते के पास कस्बा बागपत व थाना व जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थाना बडौत पुलिस टीम। (03 वारंटी)

2- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (01 वारंटी)